FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत ....सहायक कलक्टर.... मुकाम ....(SDO) तारा...

....गोमाराम वगैरा.... बनाम ....रेखाराम वगैरा....

किस्म मुकदमा ....रा० वाद 88,188 R.T. नं 113/2022.... सन ....2022....

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01/06/2022 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....गणेश मोदारा.... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....88, 188.... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....12/06/2022.... को पेश हो। | |
| 13/06/2022 | अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्तागण रेखाराम के हो प्रतिवादीगणो के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक - 04/07/2022 को पेश हो। | |
| 04/07/2022 | वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या - 5 का सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगणो के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 11/07/2022 को पेश हो। | |

सहायक कलक्टर (SDO) तारा

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | |
|---|---|---|
| 11/07/2022 | वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-4 का समन तामील पुनः पेश किया गया जो जारी होकर पत्रावली दिनांक-25/07/2022 को पेश हो। | |
| | सहायक कलक्टर (SDO) | |
| 25/07/2022 | वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं उपस्थित होकर ईकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वादीगण स्वयं PW-1, PW-2, PW-3 के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा साक्ष्य शपथ-पत्र DW-1- रेख्याराम व DW-2 व स्वतंत्र गवाह DW-3 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक-18/10/2022 को पेश हो। | रेख्याराम<br>गीता<br>प्रमिला<br>(प्रतिवादी सं. 1 से 3)<br>गोमाराम<br>ओमप्रकाश<br>डुंगराराम<br>(वादीगण)<br>(स्वतंत्र गवाह)<br>(वादी अधिवक्ता) |
| | सहायक कलक्टर (SDO) ... जालोर | |

| हुक्म ... में जारी | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18/10/2022 | वादी वकील उपस्थित। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन उक्त विवादित भूमि वादी पैतृक साबित होती है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली ~~डिस्पोज~~ फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से खारिज दाखिल दफ्तर हो। <br> सहायक कलक्टर (SDO) <br> बायतु <br> जिला – बाड़मेर | |

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

**(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S. )**

राजस्व वाद संख्या– 113/2022

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. गोमाराम पुत्र रेखाराम,<br>2. ओमप्रकाश पुत्र रेखाराम,<br>3. डूंगराराम पुत्र रेखाराम,<br>जाति– जाट, निवासी– जसनाथपुरी, चौखला, तहसील– बायतु, जिला–बाड़मेर | | 1. रेखाराम पुत्र अचलाराम,<br>2. गीता पुत्री रेखाराम,<br>3. प्रमिला पुत्री रेखाराम,<br>जाति– जाट, निवासी– जसनाथपुरी, चौखला, तहसील– बायतु, जिला–बाड़मेर<br>4. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भीमड़ा।<br>5. तहसीलदार बायतु। |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.**

उपस्थित :– 1. श्री गणेश कुमार गोदारा वकील वादीगण

**–: निर्णय :–** दिनांक : 18/10/2022

वादीगण का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक भूमि मौजा जसनाथपुरी, पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 305 रकबा 11.5606 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या–1, पूर्वज अचलाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बटंवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं गोमाराम पुत्र रेखाराम का शपथ पत्र PW 1, स्वतंत्र गवाह के रूप में फुसाराम पुत्र दुर्गाराम का शपथ पत्र PW 2 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 गीता पुत्री रेखाराम व प्रमिला पुत्री रेखाराम द्वारा साक्ष्य के रूप मे स्वंय का शपथ पत्र DW 2 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 से 3 उनके पूर्वज अचलाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 से 3 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्से के साथ वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जसनाथपुरी, पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 305 रकबा 11.5606 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अपना हक हिस्सा त्याग करने से उनका हिस्सा शेष नहीं है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 18/10/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला – बाड़मेर

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

**वादीगण**

1. गोमाराम पुत्र रेखाराम,
2. ओमप्रकाश पुत्र रेखाराम,
3. डूंगराराम पुत्र रेखाराम,
   जाति– जाट, निवासी– जसनाथपुरी, चौखला, तहसील– बायतु, जिला–बाडमेर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. रेखाराम पुत्र अचलाराम,
2. गीता पुत्री रेखाराम,
3. प्रमिला पुत्री रेखाराम,
   जाति– जाट, निवासी– जसनाथपुरी, चौखला, तहसील– बायतु, जिला–बाड़मेर
4. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भीमड़ा।
5. तहसीलदार बायतु।

## दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या– 113/2022. **निर्णय दिनांक :–** 18/10/2022

वादीगण वकील श्री गणेश कुमार गोदारा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/10/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाली जवाब व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जसनाथपुरी, पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 305 रकबा 11.5606 हैक्टेयर की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु

### वाद के खर्चे

| वादी | रुपया | प्रतिवादी | रुपया |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4. ........... रुपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6. कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7. आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड | | जोड | |